भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 260*
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत धनराशि

***260. श्री राव राजेन्द्र सिंह:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत केंद्रीय हिस्से की 102.66 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान को आवंटित लक्ष्यों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)के प्रशासनिक शीर्ष में केंद्रीय हिस्से की 18.49 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में "प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत धनराशि " के संबंध में दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *260 के भाग (क) से (घ)के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): जी हां, देश भर में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण अंतर को दूर करने के लिए 15 नवंबर 2023 को प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया गया था। पीएम-जनमन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों में चल रहे 11 महत्वपूर्ण कार्यकलापों को लागू करना है। पीएम जनमन के तहत पीवीटीजी परिवारों को पक्के आवास का प्रावधान एक प्रमुख कार्यकलाप है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन के तहत , उनके द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 14 पात्र राज्यों को कुल 4.77 लाख मकानों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 4 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है और दिनांक 12.3.2025 तक 91,000 से अधिक मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

इसका लक्ष्य प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के साथ मिलकर 4.90 लाख पीवीटीजी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवास बनाने के लिए प्रत्येक आवास को 2.39 लाख रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करना है , जिसमें 2 लाख रूपए यूनिट लागत के साथ स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये और मनरेगा योजना के तहत 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी (लगभग 27,000 रुपये) शामिल है। मिशन के स्वीकृत मंत्रीमंडलीय टिप्पणी के अनुसार , देशभर में 4.90 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आवास कार्यकलापों के लिए कुल वित्तीय व्यय 9,800 करोड़ रुपये (राज्य अंश सहित) होगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पीएम जनमन के आवास कार्यकलाप के तहत 14 राज्यों को केंद्रीय अंश के रूप में कुल 1578 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ): जी हाँ , पीएमएवाई-जी के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान को आवंटित लक्ष्यों की तुलना में प्रशासनिक निधि के तहत राज्य को 18.49 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, राजस्थान राज्य को 13852.45 करोड़ रुपये की केंद्रीय अंश जारी की गई है, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में जारी 1121.73 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसके अलावा , वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पीएम जनमन के आवास कार्यकलाप के तहत राजस्थान को केंद्रीय अंश के रूप में 165.81 करोड़ रुपये की संचयी राशि जारी की गई है।

******